dk;dkjh lkj

i"BHkfe

रत्ना एवं आर सीरीज (आर एवं आर एस) मध्यम आकार के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र मुम्बई शहर के दक्षिण पश्चिम से 130 किलोमीटर पश्चिमी अपतट क्षेत्र (45 मीटर की औसत जल की गहराई पर) में स्थित हैं। इन क्षेत्रों को नवम्बर 1979 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा खोजा एवं आंशिक रूप से विकसित किया गया था। ओ एन जी सी ने 35 अन्वेषणात्मक कुओं व 9 विकास कुओं को खोदा तथा इनमें से एक क्षेत्र अर्थात् आर–12 में एक कुआं एवं उत्पादन प्लेटफॉर्म स्थापित किया। आर –12 क्षेत्र से कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन ओ एन जी सी द्वारा फरवरी 1983 में आरंभ किया गया था। भारत सरकार (जी ओ आई) ने 1991 में अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र में निजी समूहों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 1993 में, जी ओ आई ने आर एवं आर एस क्षेत्रों के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रण अधिसूचना को जारी किया। ओ एन जी सी ने सितम्बर 1994 से इन क्षेत्रों से पेट्रोलियम के उत्पादन को रोक दिया।

भारत सरकार द्वारा निजी समूहों से बोलियाँ आमंत्रित होने पर, आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने आर एवं आर एस क्षेत्रों के संदर्भ में सफल बोलीदाताओं कें संघ (सी ओ एस बी) को अनुबन्ध प्रदान करना अनुमोदित किया (फरवरी 1996)। तदनुसार, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एन जी) ने सी ओ एस बी को आर एवं आर एस क्षेत्रों का लैटर ऑफ अवार्ड जारी किया (मार्च 1996)। तत्पश्चात, सी सी ई ए ने छह माह के भीतर उत्पादन सहभागिता अनुबन्ध (पी एस सी) को अंतिम रूप देने एवं पूर्ण करने हेतु सचिवों के समझौता–वार्ता दल (एन टी एस) द्वारा समझौता वार्ता आयोजित करने का अनुमोदन (मार्च 1999) किया।

एम ओ पी एन जी एवं ओ एन जी सी के आर एवं आर एस क्षेत्रों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई।

fof'k"Vrk,a

सी ओ एस बी के साथ समझौता वार्ता करने हेतु सी सी ई ए अनुमोदन के 16 वर्ष बीतने के बाद भी पी एस सी को अंतिम रूप देने हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया था (अगस्त 2015 तक)। एम ओ पी एन जी द्वारा पी एस सी को अंतिम रूप देने हेतु घटनाओं के क्रम के विश्लेषण ने निम्न को प्रकट किया:

(i) एन टी एस समझौता वार्ताओं को पूर्ण करने तथा पी एस सी को हस्ताक्षरित करने हेतु लक्ष्यों को निर्धारित करता रहा। नवम्बर 1999 में, एन टी एस ने निर्णय लिया कि 15 फरवरी 2000 तक समझौता वार्ता की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मार्च 2000 की बैठक में, एन टी एस ने निर्णय लिया कि 30 अप्रैल 2000 तक समझौता वार्ताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा तथा 7 सितम्बर 2000 की बैठक में, एन टी एस ने निर्णय किया कि 18 सितम्बर 2000 तक समझौता वार्ता की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। तथापि, एन टी एस ने समझौता वार्ताओं को पूरा करने हेतु स्वयं अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का पालन नहीं किया। नवम्बर 1999 तथा जून 2013 के बीच एन टी एस की 20 बैठकें हुई। मई 2010 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान, एन टी एस की केवल दो बैठकें आयोजित हुईं और दोनों अवसरों पर यह निर्णय लिया गया कि मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

¼vuqPNn 5-1 ,oa 5-2½

(ii) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एन जी) विधि एवं न्याय मंत्रालय (एम ओ एल एवं जे) तथा वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के बीच फरवरी 2001 से अप्रैल 2005 तक कुछ तकनीकी–विधिक मुद्दों पर निरंतर विचारविमर्श हुआ। यद्यपि इन सभी तीन मंत्रालयों के सचिव एन टी एस के सदस्य थे फिर भी स्पष्टीकरणों एवं पुष्टियों के लिए वार्ता के अनेक दौर हुए।

¼vuPNn 6½

(iii) सी सी ई ए ने बोली के समय विद्यमान रॉयल्टी एवं उपकर देयता के लिए निश्चित दरों को स्थिर रखने का अनुमोदन किया (9 मार्च 1999)। रॉयल्टी एवं उपकर की उन्हीं दरों के साथ अप्रैल 2001 में सभी समूहों द्वारा प्रारूप पी एस सी को आद्यक्षरित किया गया था। एन टी एस ने सलाह दी (अप्रैल 2005) कि सफल बोलीदाताओं के समूह (सी ओ एस बी) से कहा जाए कि वे 1995 में विद्यमान सांविधिक देयताओं के भुगतान की अपेक्षा वर्तमान स्तर पर भुगतान की पुष्टि करे। इसने अनुशंसा की कि उपरोक्त कार्यवाही के बाद पी एस सी में अनुवर्ती परिवर्तनों को एम ओ एन एवं जे द्वारा जाँच के पश्चात् आद्यक्षरित किया जाएगा। हालाँकि, सी ओ एस बी रॉयल्टी तथा उपकर की दरों में परिवर्तन से सहमत नहीं हुआ। भारत के महान्यायवादी (ए जी आई) द्वारा (जून 2005) सरकार को पी एस सी ड्राफ्ट में यथा निर्धारित रॉयल्टी एवं उपकर दरों के आधार पर सफल बोली लगाने वाले के साथ आर एवं आर एस क्षेत्रों के संबंध में पी एस सी को हस्ताक्षरित करने की सलाह दी गई। मार्च 2008 तक एन टी एस ने अपनी विभिन्न बैठकों में उपकर एवं रायल्टी को पुरानी दर पर बनाए रखने की सलाह दी। हालाँकि, मामले को विभिन्न मंत्रालयों के बीच उठाया एवं संदर्भित किया गया व उसे एम ओ एल एवं जे और ए जी आई के मत हेतु बार–बार भेजा गया जिन्होंने अपने पिछले मत को ही दोहराया।

¼vuPNn 7½

(iv) सी ओ एस बी को अनुबंध देने से पहले 1995 में इस की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन किया गया था। सी ओ एस बी के साथ नियम एवं शर्तों पर समझौता वार्ता होने तथा पी एस सी को हस्ताक्षरित करने हेतु सी सी ई ए द्वारा एन टी एस को कार्य हस्तांतरित करने के बाद (मार्च 1999), एन टी एस ने सी ओ एस बी के अद्यनित वित्तीय सामर्थ्य को आँकने का निर्णय (मार्च 2000) लिया। इसे जून 2000 में आँका गया तथा एन टी एस ने पी एस सी के प्रसंस्करण हेतु फरवरी 2001 में अपनी सहमति दी। तत्पश्चात, अक्टूबर 2004 एवं जनवरी 2012 में दुबारा वित्तीय क्षमता का आँकलन किया गया। विभिन्न मामलों पर अंतिम निर्णय लेने में देरी और पहले से ही निपटाए जा चुके मामलों को पुनः उठाने से सी ओ एस बी की वित्तीय क्षमता का नवीन आँकलन आवश्यक हो गया जिससे आगे और विलम्ब हुआ जो कि परिहार्य था।

¼vuPNn 8½

(v) मार्च 1999 में प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए,सी सी ई ए ने बोली आमंत्रण के समय विद्यमान स्तरों पर उपकर एवं रॉयल्टी को रखते हुए अनुबंध को पूर्ण करना अनुमोदित किया। सी सी ई ए के उपरोक्त निर्णय के बावजूद तथा यह तथ्य कि 12 क्षेत्रों के समूह में से शेष 11 क्षेत्रों हेतु दिए गए पी एस सी को एक साथ समान नियम एवं शर्तों के अधीन अंतिम रूप दिया गया तथा 2004 के अंत तक हस्ताक्षरित किया गया, पी एस सी को अंतिम रूप देने हेतु ए जी आई का मत तथा पी एस सी को पूर्ण रूप देने हेतु एन टी एस (अप्रैल 2006) की अनुशंसा के उपयुक्त निर्णय हेतु मामले को सी सी ई ए को भेजा (जनवरी 2008) गया। एन टी एस की स्पष्ट अनुशंसाएं प्राप्त करने के लिए कैबिनेट सचिवालय द्वारा सी सी ई ए नोट को लौटा दिया गया। एन टी एस ने मार्च, 2008 में अपनी स्पष्ट अनुशंसाओं को अग्रेषित किया। एन टी एस अनुशंसाओं को स्वीकारते हुए एम ओ पी एन जी ने सी सी ई ए को नोट प्रस्तुत किया (जून 2008)। कैबिनेट सचिवालय ने कुछ कमियों का संशोधन करने/सुधारने के संबंध में नोट को फिर से लौटा दिया (जुलाई 2008)। सी सी ई ए को नोट में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव 09 जुलाई 2008 को अनुमोदित किया

गया था। हालाँकि एम ओ पी एन जी में मामले की फिर से जाँच की गई और यह निर्णय लिया गया कि एन टी एस अपने वित्तीय निहितार्थों सहित उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का विस्तार से विश्लेषण करने की दृष्टि से एक बार फिर मामले पर विचार करे। तब से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

¼vuPNn 9½

(vi) ओ एन जी सी ने रत्ना आर–12 क्षेत्र में ₹472.55 करोड़ की लागत पर सुविधाओं का निर्माण किया। फरवरी 1983 से उत्पादन हेतु कंपनी द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग किया गया। क्षेत्र उत्पादन को रोकने पर, (सितम्बर 1994) ओ एन जी सी ने सुविधाओं की देखरेख नहीं की यद्यपि एम ओ पी एन जी/एन टी एस द्वारा विशिष्ट निर्देश इस स्वीकृति के साथ कि संघ भागीदारों द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी जारी किये गए थे । ओ एन जी सी के अपने निरीक्षण में सुविधाओं की स्थिति में गम्भीर विकृतियों तथा प्लेटफॉर्म की सुविधाओं एवं उपकरणों की लूटपाट के तथ्यों को प्रतिवेदित किया। विद्यमान सुविधाओं हेतु वर्तमान विनियम दरों (सितम्बर 2015) पर आँकलित मरम्मत लागत ₹1085.70 करोड़ होगी।

¼vuPNn 10½

(vii) अपेक्षित ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा ने निर्देशात्मक आधार पर वित्तीय निहितार्थों को यह मानते हुए निकालने का प्रयास किया कि (क) आर एवं आर एस मध्यम आकार के क्षेत्रों हेतु पी एस सी को 2001 में नौ अन्य लघु आकार के क्षेत्रों के साथ अंतिम रूप दिया जा सकता था तथा (ख) आर एवं आर एस क्षेत्रों से उत्पादन अक्तूबर 2005 से चार वर्ष आठ माह (नौ क्षेत्रों में से आठ ने उत्पादन आरंभ कर दिया था तथा इन क्षेत्रों में उत्पादन आरंभ करने में चार वर्ष आठ माह का अधिकतम समय लगा) में आरंभ हुआ होता। इस परिदृश्य में, जी ओ आई को सी ओ एस बी द्वारा प्रस्तुत विकास योजना के आधार पर अक्तूबर 2005 से मार्च 2015 के दौरान कच्चे तेल (₹25650 करोड़ के मूल्य के) का 56 एम बी बी एल एस तथा प्राकृतिक गैस (₹550 करोड़ के मूल्य के) का 920 एम एम एस सी एम का स्वदेशी उत्पादन लंबित रहा। उक्त अवधि हेतु जी ओ आई को प्राप्त होने वाली राशि, कच्चे तेल पर रॉयल्टी एवं उपकर के रूप में ₹1050 करोड़ तथा प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी के रूप में ₹55 करोड़, भी स्थागित रही तथा प्राप्त नहीं हुई।

¼vuPNn 12½